

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2019-20/ 727)
निमित्त:-

दिनांक 17/7/19

अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड छवडा

विषय: -Diversion of 13.558 ha of forest land for upgradation of Kota
Dharanawada Road(FP/RJ/ROAD/6979/2014)


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक camp baran \sp-1\Dt-30.05.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रति उत्तर में निम्नानुसार आक्षेप है
जिनकी पूर्ति कर संशोधित पालना भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

- 1.EDS के विन्दु संख्या A के तहत प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त दो अन्य वैकल्पिक मार्गों का विवरण अपेक्षित था। अर्थात् प्रस्तावित मार्ग के अलावा 2 अन्य वैकल्पिक मार्गों को दर्शाते हुए नक्शा तथा उक्त मार्गों में आने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना शीट उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित थी ताकि प्रस्तावित मार्ग में न्यूनतम वन भूमि आने के तथ्य को जस्टिफाई किया जा सके।
- 2.EDS के विन्दु संख्या 4 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन में सम्मिलित क्षेत्रफल का विवरण नहीं दिया गया है। कृपया प्रस्तावित सड़क के विरुद्ध आपके द्वारा कितनी लम्बाई व चौड़ाई में सड़क निर्माण का कार्य करवा लिया गया है व उसका क्षेत्रफल कितना है का विवरण उपलब्ध करावें।

भवदीय


(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2019-20/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)राजस्थान,जयपुर।
- 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक ,कोटा।

दिनांक

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां